



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234972
CG-DL-E-08042022-234972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1608]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944

No. 1608]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1691(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 131(अ) तारीख 11 जनवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद-बल्लभगढ़-बाईपास से दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के के.एम.पी.विनिमय स्थान तक राष्ट्रीय राजमार्ग 148NA के कि.मी. 37.100 से कि.मी. 43.700 तक के भू-खण्ड का निर्माण के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "पायनियर" और "विराट वैभव" दोनों में "18 जनवरी, 2022" को प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद-बल्लभगढ़-बाईपास से दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस वे के के.एम.पी. विनिमय स्थान तक NH-148NA के कि.मी. 37.100 से कि.मी. 43.700 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: फरीदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बल्लभगढ़				
	गांव का नाम: जाजरु				
1	5//23/1	निजी	कृषि	0.0227	मैसर्स अवन रियल टेक वजरिये प्रो बृजपाल भाटी अन्य (5//23/1)
	गांव का नाम: झाडसेतली				
2	109//13	निजी	कृषि	0.0076	शेरसिंह, गिराज, केसर सिंह, रूपलाल, बेदपाल पुत्रान बुद्धी पुत्र जलदेव राम हर पाँच समभाग 1/2 भाग वासी श्रीमती अंगूरी बिधवा व सुभाषचन्द पुत्र केसरिया पुत्र महीपाल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह (109//13)
3	109//14	निजी	कृषि	0.0506	शेरसिंह, गिराज, केसर सिंह, रूपलाल, बेदपाल पुत्रान बुद्धी पुत्र जलदेव राम हर पाँच समभाग 1/2 भाग वासी श्रीमती अंगूरी बिधवा व सुभाषचन्द पुत्र केसरिया

					पुत्र महीपाल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह (109//14)
4	109//4 min	अन्य	गैर कृषि	0.2909	शेरसिंह, गिराज, केसर सिंह, रूपलाल, बेदपाल पुत्रान बुद्धी पुत्र जलदेव राम हर पाँच समभाग 1/2 भाग वासी श्रीमती अंगूरी बिधवा व सुभाषचन्द पुत्र केसरिया पुत्र महीपाल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह / हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (109//4 मिन्)
5	109//5/2	निजी	कृषि	0.0025	पंचायत देह काश्तकार श्रीमती दक्खो बिधवा पतराम पुत्र होरामन गैर मौरूसी अब्बल काश्त श्रीचन्द, किशन पुत्रान प्यारेलाल पुत्र रामदयाल हर दो समभाग वासीदेह गैर मौरूसीयान दोयम (109//5/2)
6	109//7	निजी	कृषि	0.2656	शेरसिंह, गिराज, केसर सिंह, रूपलाल, बेदपाल पुत्रान बुद्धी पुत्र जलदेव राम हर पाँच समभाग 1/2 भाग वासी श्रीमती अंगूरी बिधवा व सुभाषचन्द पुत्र केसरिया पुत्र महीपाल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह (109//7)
7	109//8 min	अन्य	गैर कृषि/कृषि	0.1012	शेरसिंह, गिरराज, केसर सिन्, रूपलाल, बेडपाल एँस्/ओ बुद्धि एँस्/ओ जलदेव रेम् ऐभरी फैभ डिभिशनज़् 1/2 पार्ट रैज़िडन्ट्स् मिसिज़् अंगूरी बिधवा अन्ड् सुभाषचंद एँस्/ओ केसरिया एँस्/ओ महीपाल ऐभरी टू डिभिशनज़् 1/2 पार्ट वसीदेह / हैर्याना अर्बन् डिभैलप्मन्ट् अतौरटी (109//8 मिन्)
			कुल	0.7411	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1691(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.NO.131(E), dated 11th January, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH148NA on the stretch of land from Km. 37.100 to Km. 43.700 of the DND-Faridabad-Ballabgarh Bypass Junction With Delhi Vadodara Expressway Near KMP Interchange in the district of FARIDABAD in the state of HARYANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Pioneer” and “virat vaibhav” both dated 18/01/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH148NA in the stretch of land from Km. 37.100 to Km. 43.700 of the DND-Faridabad-Ballabgarh-Bypass junction with Delhi-Vadodara Expressway near KMP interchange in the district of FARIDABAD in the state of HARYANA.

State: HARYANA		District: FARIDABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ballabgarh				
	Village: Jajru				
1	5//23/1	Private	Agriculture	0.0227	M/s Avon Real Tech Bajaria Pro Brijpal Bhati Others 5//23/1
	Village: Jharsaintly				
2	109//13	Private	Agriculture	0.0076	Shersingh, Girraj, Kesar Singh, Rooplal, Bedpal S/O Buddhi S/O Jaldev Ram every five divisions 1/2 part residents Mrs Angoori Bidhwa

					and Subhashchand S/O Kesaria S/O Mahipal every two divisions 1/2 part Vasideh 109//13
3	109//14	Private	Agriculture	0.0506	Shersingh, Girraj, Kesar Singh, Rooplal, Bedpal S/O Buddhi S/O Jaldev Ram every five divisions 1/2 part residents Mrs Angoori Bidhwa and Subhashchand S/O Kesaria S/O Mahipal every two divisions 1/2 part Vasideh 109//14
4	109//4 min	Common	Non Agriculture	0.2909	Shersingh, Girraj, Kesar Singh, Rooplal, Bedpal S/O Buddhi S/O Jaldev Ram every five divisions 1/2 part residents Mrs Angoori Bidhwa and Subhashchand S/O Kesaria S/O Mahipal every two divisions 1/2 part Vasideh / Haryana Urban Development Authority 109//4 min
5	109//5/2	Private	Agriculture	0.0025	Panchayat Deh Kashtkar Mrs. Dakho Widow Patram Son Horaman non Maurusi topper Kashat Srichand, Kishan son Pyarelal son Ramdayal every two divisions Vasideh Gair Maurusian Doyam 109//5/2
6	109//7	Private	Agriculture	0.2656	Shersingh, Girraj, Kesar Singh, Rooplal, Bedpal S/O Buddhi S/O Jaldev Ram every five divisions 1/2 part residents Mrs Angoori Bidhwa and Subhashchand S/O Kesaria S/O Mahipal every two divisions 1/2 part Vasideh 109//7
7	109//8 min	Common	Non Agriculture/Agriculture	0.1012	Shersingh, Girraj, Kesar Singh, Rooplal, Bedpal S/O Buddhi S/O Jaldev Ram every five divisions 1/2 part residents Mrs Angoori Bidhwa and Subhashchand S/O Kesaria S/O Mahipal every two divisions 1/2 part Vasideh / Haryana Urban Development Authority 109//8 min
			TOTAL	0.7411	

[F. No. NHAI/CMU/MTR/DND/LA-FBD/2021/D-3a-III/3D]

RAJESH GUPTA, Director